झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

–: अधिसूचना :–

संख्या–11/क0च0आ0–02–18/2017 का0................................/राँची, दिनांक–

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम–2008 की धारा 12 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आलोक में गठित विभागीय अधिसूचना सं0–6/क0च0आ0–2/2010 का0–4677, दिनांक–10.08.2011– **झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2011 के नियम–6** में निम्न प्रावधानः–

6. "आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को भुगतेय वेतन भत्ते एवं देय सुविधाएँ–अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर सेवारत पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में वे कालमान वेतन, अनुमान्य भत्ते एवं अन्य अनुमान्य सुविधाएँ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

उपर्युक्त पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में उनकी पेंशन राशि घटाकर उन्हें प्राप्त अंतिम वेतन के बराबर वेतन भुगतेय होंगे। अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति की तिथि को उन्हें अनुमान्य आवासन, चिकित्सीय तथा यात्रा संबंधी अन्य सुविधाएँ आदि उन्हें नियुक्ति के पश्चात पूर्ववत प्राप्त होंगी ''

उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प सं0–2764/वि0 दिनांक–22.08.2017 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2011 के नियम–06 में निम्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता हैः–

(i) दिनांक–01.01.2016 के पूर्व अखिल भारतीय सेवा/राज्य सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के आयोग में नियुक्त/कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके सेवानिवृत्ति के समय अनुमान्य वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर सातवें वेतनमान के लिए उस वेतनमान के लिए प्रभावी के Pay Matrix के अनुसार Normal Replacement Scale में वेतन की परिगणना कर उसमें से सातवें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन की राशि घटाकर वेतन का निर्धारण किया जायेगा। सम्बन्धित Pay Matrix Level के सरकारी कर्मियों के समान समय–समय पर अनुमान्य अन्य भत्ते (मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता को छोड़कर) भी देय होंगे।

(ii) अखिल भारतीय सेवा/राज्य सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के आयोग में नियुक्त/कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले मकान किराया भत्ता (यदि आवास आवंटित नहीं हो तो) एवं परिवहन भत्ता (जहाँ अनुमान्य हों) की राशि का भुगतान किया जायेगा।

(iii) उपर्युक्त प्रावधान दिनांक–01.01.2016 से प्रभावी होगा।

नियमावली के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–02–18/2017 का0../राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–02–18/2017 का0......11247....../राँची, दिनांक– 8.11.17

प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(निधि खरे) 8/11/17

सरकार के प्रधान सचिव।